छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
--00--

// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 09-09-2026

क्रमांक- ESTB-1/5414/2026-AH :: ग्राम हेमाबंद, जिला-बेमेतरा में अनाधिकृत रूप से रखे गये गौवंश/पशु मृत्यु पोस्टमार्टम जांच सुरक्षित व्यवस्थापन गंभीर अनियमितताएं संज्ञान में आने के बावजूद भी डॉ0राजेन्द्र भगत, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बेमेतरा द्वारा मौका स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में कलेक्टर, जिला-बेमेतरा द्वारा मुख्यालय में अनुपस्थिति रहने के कारण डॉ० भगत को दिनांक 04.08.2026, 05.05.2025, 15.04.2025, 03.11.2024, 05.04.2023, 22.02.2023 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस प्रकार डॉ0राजेन्द्र भगत द्वारा शासकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय है।

2 / अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ0 राजेन्द्र भगत, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3 / निलंबन अवधि में डॉ0राजेन्द्र भगत का मुख्यालय संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है। डॉ0 भगत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Manoj Kumar Mishra
Date: 09-09-2026
16:20:37

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

पृष्ठां.क्रमांक-ESTB-1/5414/2026-AH नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 09-09-2026

प्रतिलिपि-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, पशुधन विकास विभाग, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

2. स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया डॉ0 राजेन्द्र भगत, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बेमेतरा को उक्त निलंबन आदेश तामिल कराकर निर्देशानुसार उनके विरूद्ध आरोप-पत्र का प्रारूप सह दस्तावेज की दो-दो प्रतियों मय सी.डी. सहित 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
4. कलेक्टर, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
5. संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.)
6. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
7. संबंधित अधिकारीः- डॉ0 राजेन्द्र भगत, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बेमेतरा (द्वारा- संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8. आदेश फोल्डर ।